

परिषद की वाराणसी जोन के अन्तर्गत

वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद,
मिर्जापुर, गोरखपुर, बलिया एवं गोण्डा
नगरों की सम्पत्तियों का

आवंटन/ नीलामी



स्थल : सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी

आवंटन/
नीलामी तिथि :
30.11.2012
समय : प्रातः
10:30 बजे

भवनों/ भूखण्डों का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल व0मी0 में	आरक्षित दर(प्र0व0 मी0)/अनु0मू0 फ्री-होल्ड सहित (₹ लाख में)	टोकन मनी /पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)
लाटरी ड्रा से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ				
भरतपुरी योजना, गोण्डा				
आ0भू0-पी-1989, 1990	02	41.81	4704.00	0.10
नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ				
सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर				
आ0भू0-डी-10	01	232.00	8288.00	0.97
आ0भू0-डी-2/1	01	255.00	8288.00	1.06
झूसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद				
दु0आ0वर्ग-6/137 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	24.95	7840.00	0.10
देव प्रयागम योजना, इलाहाबाद				
आ0भू0-बी-4, 6, 8	03	288.00 प्रति नग	6720.00	0.97
नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ				
कबीर नगर योजना, वाराणसी				
दुकान - एस0-1/11	01	7.17	10.72	1.08
हृत्पुर योजना, बलिया				
व्य0भू0-2बी/सी0पी0-1	01	108.00	16352.00	1.77
व्य0भू0-2बी/सी0पी0-2	01	92.40	16352.00	1.52
महादेव झारखण्डीय योजना, गोरखपुर				
दुकान संख्या-एस-10	01	8.53	3.47	0.35
रुस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर				
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-1	01	66.33	16576.00	1.10
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-2	01	64.64	16576.00	1.07
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-3	01	71.74	16576.00	1.20
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-4	01	80.89	16576.00	1.34
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर				
दु0-एल0जी0एफ0 एस-2,3,4,5,8,9,10,11	08	9.633	7.17	0.72
दुकान-यू0जी0एफ0 एस-8,9	02	9.633	4.68	0.47
दुकान-एल0जी0एफ0 एस-7	01	9.922	4.82	0.49
दुकान-एल0जी0एफ0 एस-1,6,7,12	04	9.922	7.38	0.74

सम्पत्तियों का प्रकार/सं0	संख्या	क्षेत्रफल व0मी0 में	आरक्षित दर/अनु0मू0 फ्री-होल्ड सहित (प्रति वर्ग मी0)	एफ0 ए0 आर0	प्राउण्ड कवरेज	अधि0 उचाई (मी0में)	टोकन मनी /पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)
नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ							
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी							
कम्युनिटी सेन्टर-3ए-2(लीज पर)	01	3053.68	8512.00				26.00
कम्युनिटी फ़ैसिलिटी-1(लीज पर)	01	1031.19	12768.00				13.17
कम्युनिटी फ़ैसिलिटी-2(लीज पर)	01	1480.00	12768.00				18.90
अवधपुरी योजना, फैजाबाद							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-6ए, 7	02	368.50(प्रति)	9408.00				3.47
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-6बी	01	243.81	9408.00				2.30
झूसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद							
दुकान संख्या-एस-2/12	01	15.82	7.83				0.79
दुकान संख्या-एस-2/13, 14	02	9.60	4.85				0.49
दुकान संख्या-एस-2/33	01	13.59	4.35				0.44
दुकान संख्या-एस-2/11	01	16.56	8.35				0.84
दुकान संख्या-एस-2/10	01	14.32	7.25				0.73
झूसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद							
नर्सिंग होम भू0-8-15/3	01	462.04	15680.00				7.25
शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी0पी0-1	01	81.00	19488.00				1.58
डमरौली योजना, मिर्जापुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-105	01	174.00	12320.00	1.5	50	15मी.	2.15
व्यवसायिक भूखण्ड-110	01	144.00	12320.00	1.5	50	15मी.	1.78
व्यवसायिक भूखण्ड-114	01	289.45	12320.00	1.5	50	15मी.	3.57
दुकान संख्या-एस-2,3	02	9.39	3.72				0.38
दुकान संख्या-एस-6	01	15.15	5.95				0.60
दुकान संख्या-एस-7	01	18.71	7.35				0.74
दुकान संख्या-एस-10	01	6.667	4.47				0.45
दुकान संख्या-एस-11	01	8.667	5.80				0.58

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप : 1. योजना/शहर का नाम 2. भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल 3. आवेदक का नाम 4. पिता/पति का नाम 5. पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता 6. दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. 7. आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें) 8. संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण-बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक 9. निर्गतकर्ता बैंक का नाम, धनराशि 10. भुगतान का विकल्प, आवेदक के हस्ताक्षर.....तिथि..... स्थान.....

सीलड बिड का प्रारूप : 1. योजना/शहर का नाम 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल 3. आरक्षित मूल्य 4. ऑफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) 5. टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु0... 6. बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक 7. नाम 8. पिता/पति का नाम 9. आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें), 10. पत्र व्यवहार का पता 11. दूरभाष/मोबाइल नं0, ई-मेल आई.डी. हस्ताक्षर..... 12. दिनांक... स्थल.... नाम, पिता/पति का नाम, संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम पूरा पता....

योषणा : (आवेदन/सीलड बिड एवं दोनों के साथ आवश्यक) 1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ सम्पत्ति "जहाँ है जैसी है" के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। 2. मेरे, पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित..... शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं। 3. मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की 2010-11 की समस्त श्रोतों से आय रु0..... से अधिक नहीं है। 4. मुझे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सभी अध्यावधिक नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि.... स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर व पता.....

नियम व शर्तें : 1. आवेदन/सीलड बिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु0 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सीलड बिड/ऑफर अंकित करते हुए रु0 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सीलड बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा कराने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक सम्बन्धित

कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 3. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सीलड बिड सम्बन्धित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है : कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस कम शॉपिंग कामप्लेक्स, जवाहर नगर, (मेलपुर) वाराणसी (सभी नगरों हेतु) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु- स0प्र0 कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी, गोरखपुर हेतु - स0प्र0 कार्यालय सुरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद हेतु - स0प्र0 कार्यालय, 50/6 अलोपी बाग, इलाहाबाद। फैजाबाद हेतु - स0प्र0 कार्यालय, अगूरीबाग, फैजाबाद। गोण्डा हेतु - स0प्र0 कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा। 4. सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 5. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धि विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 6. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय होगा, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2012 तथा सीलड बिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं शर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। 10. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 11. एक आवेदक एक से अधिक भवन/भूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 12. सीलड बिड देते समय लिफाफे के उपर योजना/सम्पत्ति संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। 13. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित स0प्र0 कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट : <http://www.upavp.com> पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 14. कारनर की सम्पत्तियों पर परिषद नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। 15. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। 16. आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के अनुसार देय होगा।